

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी-3/1 राजमहल रजिडेंसी ऐरिया, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-302006)

क्रमांक:एफ-1(2)(303)स्था/सान्याअवि/17/१९९९९

जयपुर, दिनांक: 27/11/17

प्रेस विज्ञप्ति

राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं संशोधित नियम 2015 के ग्रुप 'घ' के छात्रावास अधीक्षक श्रेणी II के पद पर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा है। अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि 06.11.2017 एवं 07.11.2017 को अपने नियत तिथि एवं समय पर रोल नम्बर के अनुसार अम्बेडकर भवन, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन, जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तिथिवार कार्यक्रम एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की वेब साईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(डॉ० समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

६४९००-१०/

क्रमांक:एफ-1(2)(303)स्था/सान्याअवि/17/1 जयपुर, दिनांक: 27/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
2. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को।

(संचिता बिश्नोई)

अतिरिक्त निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक 6.11.2017 को निदेशालय में राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II अस्थाई चयनीत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित कमरा संख्या

कमरा नम्बर एवं समय	रोल नम्बर	
309	मध्याह्न पूर्व	100729, 101208, 102975, 104149, 104367, 106904, 110371, 110695 116475, 119592, 120299, 123987, 124315, 124631, 126176, 127010
	मध्याह्न पश्चात	127950, 128604, 129064, 130174, 131136, 131272, 132054, 132453 133472, 137960, 138251, 138824, 140194, 140721, 140923, 147888
310	मध्याह्न पूर्व	148269, 149731, 149783, 150174, 151976, 152525, 153259, 153360 154906, 154924, 155262, 156140, 157327, 157941, 158437, 158649
	मध्याह्न पश्चात	159061, 159881, 160130, 160240, 160484, 160964, 171411, 174340 175017, 180199, 181429, 184348, 193763, 193972, 194204, 195281
211-A	मध्याह्न पूर्व	196215, 197711, 202351, 205625, 206025, 207492, 210683, 212141 214085, 215301, 221072, 232232, 233880, 236417, 236566, 237690
	मध्याह्न पश्चात	238341, 238868, 239089, 242215, 243619, 248081, 251146, 253519 255823, 258348, 259443, 259846, 264208, 265518, 267110, 268339
411	मध्याह्न पूर्व	274107, 279113, 279933, 280919, 281790, 281957, 282699, 284326 285874, 285995, 286632, 287400, 289332, 289458, 292159, 292989
	मध्याह्न पश्चात	293436, 293573, 294323, 295633, 295652, 297650, 298102, 298619 298645, 304280, 304410, 304957, 306959, 308770, 311286, 316036
306	मध्याह्न पूर्व	316523, 316793, 317451, 317732, 320340, 320742, 321878, 322159 323105, 324675, 324797, 325222, 325985, 330743, 330859, 331725
	मध्याह्न पश्चात	331967, 335351, 335380, 337433, 338966, 339274, 340167, 343255 349198, 356464, 357073, 357661, 359473, 359853, 360696, 360781
208-A	मध्याह्न पूर्व	361864, 365018, 366128, 370541, 380081, 381435, 381527, 382747 385533, 397800, 398311, 399012, 401196, 401977, 402548, 404887
	मध्याह्न पश्चात	406783, 406843, 408226, 411142, 412853, 413911, 414100, 414774 416528, 417737, 418959, 428729, 429016, 431201, 431371, 433672
208-A	मध्याह्न पूर्व	435867, 441210, 442157, 443992, 449773, 450167, 450201, 451301 452121, 455593, 456806, 459983, 460454, 461446, 462144, 463354
	मध्याह्न पश्चात	464485, 470154, 471298, 471946, 472427, 472475, 474771, 475653 476277, 478215, 478939, 480517, 482171, 484580, 485183, 486583

दिनांक 7.11.2017 को निदेशालय में राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II अस्थाई चयनीत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित कमरा संख्या

कमरा नम्बर एवं समय		रोल नम्बर
309	मध्याह्न पूर्व	486965, 489807, 490053, 491681, 493205, 500366, 502677, 502778 503119, 503338, 503719, 504133, 505818, 505851, 506183, 510077
	मध्याह्न पश्चात	512934, 513013, 514430, 515202, 517115, 517756, 518029, 520760 521049, 524827, 525041, 525434, 525655, 525995, 527293, 527373
310	मध्याह्न पूर्व	527411, 528703, 529320, 529762, 530239, 530949, 531230, 536947 538596, 540098, 541815, 543842, 549624, 549678, 551182, 554351
	मध्याह्न पश्चात	555687, 555820, 556624, 557283, 557327, 557635, 558464, 559462 560513, 561442, 561566, 106702, 109271, 118479, 137931, 151620
211-A	मध्याह्न पूर्व	161707, 179917, 260392, 275756, 280995, 322020, 345743, 370744 376677, 392228, 399216, 408540, 410991, 413583, 416108, 419277
	मध्याह्न पश्चात	421484, 447517, 466697, 489684, 502970, 514719, 550636, 554424 558605, 559573, 383436, 102790, 113491, 115237, 122642, 123072
411	मध्याह्न पूर्व	129098, 129722, 136745, 136900, 151327, 156037, 200691, 236481 251101, 254145, 256352, 263210, 264858, 275106, 275568, 275582
	मध्याह्न पश्चात	275726, 304224, 305643, 307850, 308855, 323704, 325708, 327546 395292, 397171, 401744, 405980, 411624, 421054, 425311, 435710
306	मध्याह्न पूर्व	442795, 450093, 452349, 455172, 463553, 479253, 480897, 487413 499358, 507866, 521730, 521927, 526779, 539207, 544794, 553960
	मध्याह्न पश्चात	100281, 116565, 119322, 122508, 128279, 171101, 173755, 177917 178676, 179615, 181981, 218617, 224203, 287116, 287402, 287536
208-A	मध्याह्न पूर्व	289333, 294256, 294465, 296333, 297000, 298748, 301169, 301794 305127, 307516, 311294, 313576, 314133, 315988, 319381, 320782
	मध्याह्न पश्चात	320794, 322585, 324204, 332859, 390541, 391052, 391750, 443296 443982, 455236, 456194, 488831, 495046, 515142, 542936, 558323
208-A	मध्याह्न पूर्व	167875, 222411, 232565, 232851, 233681, 250129, 490913, 495215 540609, 543445, 543709, 544219, 547441, 547771, 548204, 550289
	मध्याह्न पश्चात	500607, 165105, 166225, 224831, 224938, 225209, 228321, 228634 229320, 491766, 492497, 492644, 498950, 500508, 501247, 501796 542321, 543512, 549438

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश
 (आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें)

1. आवेदन-पत्र शुल्क:- अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन-पत्र शुल्क हेतु तदनु रूप भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न करें।
 2. आवेदन-पत्र भरना:- आवेदक आवेदन-पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
 नोट:- आवेदक आवेदन-पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन-पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट-छँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन-पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) व विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो (विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात् का खिंचा हुआ) निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन-पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत् भरा हुआ निर्धारित आवेदन-पत्र, नवीनतम फोटो, आदि के साथ बोर्ड द्वारा निर्देशित कार्यालय में निर्धारित तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन-पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।

3. प्रमाण-पत्र:- समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्वप्रामाणित प्रतियाँ (शैक्षणिक/आयु/आचरण/जाति/निःशक्तता, वैवाहिक स्थिति, भुतपूर्व सैनिक, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण-पत्र आदि) इस विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ निम्न क्रमानुसार आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें:-

(क) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र:- (1) आपको अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता की अंक-तालिकाओं के साथ-साथ प्रमाण-पत्रों/उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा, जो आपने उत्तीर्ण की है, की उपाधि प्राप्त नहीं हो, तो संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

नोट:-यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र-3 प्रामाणित करवाकर संलग्न करें।

(ख) आयु का प्रमाण-पत्र:-

(1) साधारणतया बोर्ड हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण-पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवेदक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायरसैकण्डरी प्रमाण-पत्र की प्रामाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, फार्म के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालत में बोर्ड विद्यालय के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। इसके लिये आवेदक को चाहिये कि यह अपने विद्यालय के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित कराकर उद्धृत कर सकता है।

(2) यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिरा उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का, यथा राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /विशेष योग्य व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ भेजें अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

आयु संबंधी सामान्य नियम

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबंधित विज्ञापित में देखा जा सकता है।
2. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किये जाएंगे।
3. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद/वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात् उसे उस वर्ग में पुरुष को देय छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।
4. आयु की गणना सामान्यतः विज्ञापित के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी।

5. उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
6. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। (यह छूट विज्ञापित में उल्लिखित होने पर ही मान्य)

(ग) आवरण संबंधी प्रमाण-पत्र :- अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें-

नोट- स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।

(घ) जाति प्रमाण-पत्र :- जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा :-

- District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadweep Island).

नोट- (अ) सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ब) जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि

- निवास स्थान एवं कीमीलेयर/नॉन कीमीलेयर की प्रवृत्तियां निर्धारित प्रपत्र पर सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- कीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन-पत्र पर आवेदन करना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंध वर्ग में होना चाहिए।
- प्रमाण पत्र नियमानुसार माता-पिता की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता-पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(क) विशेषयोग्य प्रमाण-पत्र- यदि आवेदक विशेषयोग्य व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेषयोग्य का प्रमाण-पत्र संलग्न कर अवश्य भेजे, अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेषयोग्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक नि:शक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कोड भरें-

विशेषयोग्य कोड	दृष्टिव्यक्ति (A)			श्रवण (B)		एल.सी./सी.पी. (C)						
	पूर्ण अंध	अंशतः अंध	उपजोर दृष्टि	पूर्ण	अंशतः	बोनों पर	दोनों एक	एक पर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों अंगुलियां	संलग्नता पूर्णता
विशेषयोग्य कोड	01	02	03	01	02	01	02	03	04	05	06	07

(ख) अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र :- आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर भेजे।

(ख) विवाह संबंधी प्रमाण-पत्र :- आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण

- से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करे।
4. **सेवारत अर्ह्यार्थी**— जो आवेदक सेवारत है (स्थाई हो या अस्थाई) उन्हें अपना आवेदन-पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन-पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक के बाद पहुँचता है तो उस प्रार्थना-पत्र पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बले ही आवेदक ने प्रार्थना-पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अन्तिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत किया हो।
 5. **राष्ट्रीयता** :- (क) भारत का नागरिक या (ख) सिविकम या (ग) नेपाल या (घ) भूटान का प्रजाजन या (ङ) दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या (च) स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति। नोट— बर्ग (ग), (घ), (ङ) व (च) से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत-सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
 6. आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण-पत्र नहीं भेजना चाहिए, जब तक कि बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसी माँग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण-पत्र को वापस लौटाने का दायित्व बोर्ड का नहीं होगा।
 7. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझे।
 8. बोर्ड किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राजकीय सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा— आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञापित के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आवेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।
 9. आवेदक को उसके आवेदन-पत्र के अन्तिम परिणाम को चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, बोर्ड द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
 10. यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
 11. उक्त रिक्ति व नियुक्ति नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।
 12. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
 13. यदि आवेदक के पते में परिवर्तन हो तो बोर्ड कार्यालय को अवश्य सूचित करें। बोर्ड कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र भेजवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 14. किसी सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त पत्र भरवाये जा सकते हैं, इसके लिये संबद्ध विज्ञापित का अवलोकन कर लें।

9. सन्तान विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) :

1		4	
2		5	
3		6	

1.08.2002 से पूर्व :-

1.06.2002 से पश्चात् :-

11. पत्र-व्यवहार का पता (मथ फोन/ मोबाईल नम्बर) :

12. स्थाई निवास का पूरा पता :

13. शैक्षणिक योग्यता :- (अ)

मेट्रिक / हाईस्कूल / सेकण्डरी									
हायर सेकण्डरी / सी. सेकण्डरी / इण्टर									
स्नातक (बी.ए./बी. कॉम/बी.एस.सी.)									
अधिस्नातक (एम.ए./एम. कॉम/एम.एस.सी.)									
शिक्षा में स्नातक (बी.एड./शिक्षाशास्त्री)									
पत्राया परीक्षा- (नेट/सेट/गेट/केट)									
बी.ई./बी.टेक									
एम.टेक									
बी.एस.सी./डिप्लोमा नर्सिंग									
अन्य कोई उपाधि/डिप्लोमा									

(ब) इन्टरशिप (यदि लागू हो) :- वर्ष माह दिन

(स) रजिस्ट्रेशन विवरण (यदि लागू हो) :- (मेडिकल काउंसिल/राजस्थान नर्सिंग काउंसिल/.....)

रजिस्ट्रेशन का नाम	रजिस्ट्रेशन के	रजिस्ट्रेशन दिनांक	मान्यता अवधि	रजिस्ट्रेशन स्थान

(द) पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण (यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो):-

14. अतिरिक्त विस्तृत सूचना :-

(1) यदि आपने पूर्व में 13 (द) की सूचना से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत हैं, तो उसका पूरा विवरण नीचे लिखें :-

(2) यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो प्रमाण सहित संबद्ध प्राक्धान का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
(संलग्नक संख्या)

(3) यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता/अनुभव/पुरस्कार/पदक/विजय चिह्न प्राप्त किया हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें।
(संलग्नक संख्या)

(4) यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोधपत्र प्रकाशित हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें।
(संलग्नक संख्या)

(5) यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दण्डित/पदच्युत/ब्लैकलिस्ट/विवर्जित किया गया हो, तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं उसके कारण का उल्लेख करें।

-: आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सम्पूर्ण हैं। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि इस आवेदन-पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए, तो बोर्ड मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। मैंने बोर्ड के उपबन्धों/नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

* मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस पद/परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 1-6-02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं/नहीं हैं।

* जो लागू ना हो तो उसे काट दें।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

1.	अंकपत्र- मैट्रिक / हाई स्कूल / सेकण्डरी		
2.	उपाधि/प्रमाणपत्र- मैट्रिक / हाई स्कूल / सेकण्डरी		
3.	अंकपत्र- हायर सेकण्डरी / सीनियर सेकण्डरी / इन्टरमीडिएट		
4.	उपाधि/प्रमाणपत्र-हायर सेकण्डरी / सीनियर सेकण्डरी / इन्टरमीडिएट		
5.	अंकपत्र स्नातक - (बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एससी. / बी.ई. / बी.टेक. /		
6.	उपाधि/प्रमाणपत्र स्नातक - (बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एससी. / बी.ई. / बी.टेक. /		
7.	अंकपत्र अधिस्नातक - (एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एससी. / एम.टेक. /		
8.	उपाधि/प्रमाणपत्र अधिस्नातक - (एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एससी. / एम.टेक. /		
9.	अनुभव प्रमाणपत्र -		
10.	अन्य प्रमाणपत्र -		
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया / निम्न कमी पाई गई

हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :

पदनाम :

-: शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र :- प्रपत्र-3

(आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तिर्ण नहीं है, किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ / हो रहा है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र श्री.....
 निवासी..... जो कि..... पद के लिए
 विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि..... तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता..... के
 अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम/परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है।

आवेदक के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान/राजपत्रित अधिकारी
 के हस्ताक्षर मय मोहर

-: अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट :-

प्रपत्र-4

i	अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न किन्तु समकक्ष	
ii	अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है	आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त	आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त	
iii	यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था, तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था?	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं	
iv	क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है? (साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक)	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं	
v	केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है?	साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण	साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं	
i	अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेशपत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में ?	उसी श्रेणी में	भिन्न श्रेणी में	
ii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था?	आवेदन की तिथि से पूर्व	आवेदन की तिथि के पश्चात्	
iii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	राजस्थान का मूल निवासी है	राजस्थान का मूल निवासी नहीं है	
iv	टी.एस.पी. एरिया के निवास संबंधी (केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू)			
v	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	हाँ	नहीं	
i	यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त	शैक्षणिक योग्यता से पूर्व	
ii	अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त	आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व	
iii	अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न किन्तु समकक्ष	

i	अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है?	वर्ष माह दिन
ii	विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा	न्यूनतम..... अधिकतम:--.....
iii	अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस-किस श्रेणी में मानता है?	क्र.सं.

— अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान :-

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)	अभ्यर्थी टिक करे	कार्यालय हेतु
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5		
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला	10		
3	सामान्य वर्ग की महिला	5		
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
5	विशेषयोग्यजन	सामान्य	10	
		पिछड़ा	13	
		अधजात/अधजात	15	
6	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत	अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष		
7	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक (अधीनस्थ सेवा हेतु)	अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष		
8	भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष		
9	सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट	अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष		
10	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार मात्र थे	2 अयसर तक		
11	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	यदि लागू हो तो अंकित करें।		
12	एन.सी.सी. कैंडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विशिष्ट अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विशिष्ट आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर		
13	पूर्वी अफ्रीकी देशों के कोनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
14	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
15	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		

16	अन्य नूतनपूर्व कर्मी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में	कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर		
17	कोई अन्य			

आवेदक के हस्ताक्षर

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है अर्थात् अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर नहीं।

1	क्या आवेदन-पत्र स्वहस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है?		
2	क्या हस्ताक्षरित दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं?		
3	क्या आवेदक भरी गई श्रेणी (वर्ग) हेतु पात्र है?		
4	क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है?		
5	क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है?		
6	क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है?		

7. आयु सीमा में छूट चाहने का कारण:-

—: अभिशंका :-

8. आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाए:- हाँ/नहीं
9. निम्न कारणों से अस्थाई(सशर्त) रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाए/अपात्र घोषित किया जाए:
-

हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम

पदनाम

10.	1. Address:			
	Village			
	District	Pin:		
	2. Address:			
	Village			
	District	Pin:		
	3. Address:			
	Village			
	District	Pin:		
	4. Address:			
	Village			
	District	Pin:		
	5. Address:			
	Village			
	District	Pin:		
11.				
12.				
13.	1.			
	2.			

I certify that foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief, I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date.....

Place

Signature of Candidate

(CERTIFICATE TO BE SIGNED BY A GAZETTED OFFICER OR MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OR OTHER AUTHORITY PRESCRIBED BY THE APPOINTING AUTHORITY)

Certified that I have known Shri/Smt./Kumari.....
 S/o/Wife/Daughter of Shrifor the lastyears/months and
 that to the best of knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

Place

Signature.....

Designation or Status & Address.....

Date

Rubber Stamp.....

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(40)RSMSSB/अर्थना/ग्रा.प.स./ग्रा.से./2018/475

दिनांक: 29.09.2018

विवरण सं. 08/2018

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु

संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सिधे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1998 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं वन्य श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सिधे राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1983 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं वन्य श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) सम्पन्नित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पद कोड संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
			गैर-अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	01	ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव	3137	511	3648
2.	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II	265	35	300

विशेष नोट :- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण करने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अस्पष्टता व परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के सिधे आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन पूर्णतः अनिश्चित होगा।
(2) आस्था की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन होगी।

- 1. आवेदन प्रक्रिया :-** आवेदन On line Application Form में सिधे जाएंगे जिन्हें राज्य के सिधेरित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना ले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के सहायक से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोट की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेगा। पंजीयन के उपरान्त उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेगा। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराये। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा काने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी नग्न रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं

फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-वित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221426 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3067541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

अप्यथी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अप्यथी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुन गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अप्यथी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अप्यथी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अप्यथी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-वित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अप्यथी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-वित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221426 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3067541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अप्यथी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से स्कन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट-

1. ग्राम सेवाक एवं पंचायत सचिव तथा उपग्राम सचिवक ग्रेड-11 के पदों की परियोजना सूची(Merit List) एवं कोक संख्या के क्रम 01 एवं 02 के अनुसार ही टीयाप की जायेगी। सचिवा सूची(Merit List) में से सचिवा के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम सेवाक एवं पंचायत सचिव तथा उपग्राम सचिवक ग्रेड-11 के पदों को भरा जायेगा।
 2. एवं कोक संख्या 01 ग्राम सेवाक एवं पंचायत सचिव पद के लिये परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् उपरोक्त क्रम से ब्यक्ति अप्यथियों से जिस जिले में पदस्थान नज़द है उन जिलों का प्राथमिकता क्रम तथा समय नरका दिया जावेगा। उपरोक्त जिलों का आरंभ परियता सह प्राथमिकता (Merit cum Priority) के आधार पर किया जावेगा।
 3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उनकी प्रविष्टियों से आश्चर्य हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रकी किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
 4. अप्यथी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
 5. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कम्प्लेक्स आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कम्प्लेक्स (परिष्कारण आई.सी.) सक्रिय या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र भरा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र के preview को आवेदन submit न करने।
 6. कृपया ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित एवं अप्यथियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर ले। इस विज्ञापित एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
- 2. परीक्षा शुल्क :-** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निरक्षित ई-वित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र (C.S.C.) के माध्यम से सचन बोर्ड को भेजे।
- (क) सामान्य वर्ग व कोमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 850/-
- (ख) राजस्थान के नॉन कोमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 460/-
- (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 350/-

नोट-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा मुक्त देना होगा।
3. पीस एक बार जमा होने पर कसौत नहीं लौटाई जायेगी।
4. पीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश पत्र—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जायें और सचन बोर्ड द्वारा साक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवश्यक पत्र सफाई एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) पर पीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एव मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस के माध्यम से भेजी जा सकती है।

4. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :-

पद कोड संख्या : 01

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद कोड संख्या 01 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3137 पदों एवं अनुसूचित क्षेत्र के 511 कुल 3648 पदों के जिलेवार एवं श्रेणीवार लम्बवत् (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का बर्गीकरण अलग से सूचित किया जायेगा।

5. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :-

पद कोड संख्या : 02

छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II पद कोड संख्या 02 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 285 पदों एवं अनुसूचित क्षेत्र के 35 कुल 300 पदों का श्रेणीवार लम्बवत् (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का बर्गीकरण अलग से सूचित किया जायेगा।

नोट-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अनिच्छित हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भासी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भासी निवासी रहे हैं।
2. अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
3. गैर अनुसूचित क्षेत्र की स्थितियों के सिवाय अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प्र.13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट दिनांक 04.07.2018 के अनुसार की जायेगी।
5. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विशेष योग्यजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की कुल संख्या अथवा वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीबी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के मात्र एवं उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को परभावपूर्वक तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के परभाव ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।
परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रवर्धन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसूचित रिक्तियों का पद खाल पद आरक्षित रोस्टर के अनुसार भर्ती के आख्यान को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या अध्यापिका, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा बिनाके लिये ऐसी रिक्त परभावपूर्वक वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु मात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आख्यान क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला व्यक्तियों का आख्यान इस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपस्थित रूप से समायोजित किया जाएगा।
एवंशानुसार- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की मात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर एक पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विचारित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का सीमा सीमांतवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के मृत्यु व अन्य के अभाव पर जारी प्रमाण पत्र सत्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित वसाई पद पदों में नियमानुसार 6 प्रतिशत पद विज्ञान एवं 2 प्रतिशत पदिकता (विशेष विभिन्न पदिकता) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विद्या अर्थात् उपलब्ध नहीं होती है तो विद्या के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की पदिकता (विशेष-विभिन्न महिला) से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त पदिकता अर्थात् उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विद्या महिला से भरा जाएगा। यदि विज्ञान एवं पदिकता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। विद्या आवेदक होने की स्थिति में स्कूल प्राधिकात्री द्वारा जारी पत्र की मूल्य का प्रमाण-पत्र एवं पदिकता महिला (विशेष विभिन्न महिला) को भी विशाल विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एच.7(2)/डीओपी/ए-11/2015-(1) दिनांक 16.10.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों (गैर सीबी/सीबी) को 6 प्रतिशत आख्यान देय है।
6. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य भर्ती के विरुद्ध बयान हेतु आरक्षित वर्ग/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक मात्र होने जिन्होंने अनु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या का लाभ नहीं उठाया है।
7. राजस्थान राज्य से मिले अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा।
8. बारा जिले की सहिया जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने पर ही उन्हें बारा जिले में सहिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक ए.13(20) कार्मिक/क-2/91पद दिनांक 21.03.2013 के अनुसार आख्यान का लाभ देय होगा।
12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु- भूतपूर्व सैनिकों को आख्यान राजस्थान विरहित सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का अध्यापन) नियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पर आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक के पदों का आख्यान क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अग्रणीत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
13. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आख्यान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-1164 दिनांक 15.09.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आख्यान क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अग्रणीत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु मात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्त परभावपूर्वक वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

खेलकूट खिलाड़ी मान्यता प्राप्तिकरण :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)बीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिन्न है और इसमें सम्मिलित है। राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूट के कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत या टीम स्तरों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूट के कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत या टीम स्तरों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूट के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत या टीम स्तरों में मैडल जीता हो।
या
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूट के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्तरों में या टीम स्तरों में मैडल जीता हो।

सूचया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने ज्ञान-दूषकन बिना सत्य गत आरक्षण भेजी अर्पित की है तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

14. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये आरक्षण संबंधी प्रश्नधान :-

1. बाल सेवा एवं संरक्षण सचिव पर कोड 01 के लिये:-

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 एवं उक्त नियमों के नियम 38(2) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10.08.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देव है :-

1. One leg permanent physical impairment 40 to 70%
2. Permanent visual impairment 40% to 50%
3. Permanent hearing impairment 40 to 70% in the worse ear

2. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पर कोड 02 के लिये :-

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार निःशक्तता से संबंधित अक्षमताओं की प्रकृति वाले अक्षयियों को निम्न प्रकार से अभिषेकृत किया जाता है:-

1. B/L.V (blindness/low vision)
2. HI(Hearing Impairment)
3. I.D/C.P(Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षितता प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

नोट:-

- a. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अथ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समाधोजित किया जाएगा।
- b. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 38(4)के अनुसार ऐसी रिक्ति को अधीत किया जाएगा।
- c. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

6. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जास्ताम की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/अ-2/81/पार्ट विनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं मध्यम श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर प्रश्न सेवक एवं पंचायत सचिव पद हेतु राजस्थान पंचायती राज कमिशनियन -1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम-1994 के प्रावधान एवं छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड-4 पद हेतु राजस्थान सभाप कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1983 लागू होंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा तत्काल-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 12(2) 80-एन-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी विज्ञापन निर्देश में उपलब्ध है।
4. परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों में यथ-उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पदार्थक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा प्रयत्न बोर्ड, जयपुर को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अधित कर लेने का सक्षम प्रस्तुत करना होगा।
5. निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेवा से निर्मुक्त होने के परवत्त जब वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेवा में कमीशन प्रदान करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
6. रिजर्विस्टों अर्थात रक्षा सेवा कार्मिकों जिनकी रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
7. राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संक्षेप में अधिष्ठापी हैसियत सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. कैंडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिपरिणित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैंडेट में भी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

नोट- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पत्राका एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह संजीवन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन करने, नियुक्ति की अवधारणाएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुसूचित सभानों की संख्याएं एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कूल संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के सभान व्यापक लागू होंगे।

7. **वेतनमान :-** ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड-11 के पद का वेतनमान रनिग 6 ब्रेड (5200-20200रु) ग्रेड पे रू 2400/- मासिक नियत पारिणामिक नियमानुसार।

8. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

(i) विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता और

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणमधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकीकृतेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (DOEACC) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्चतर लेवल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।

या
व्यावसायिक प्रशिक्षण स्क्रीम की राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कॉमिन्स)/राज्य परिषद (स्टेट कॉमिन्स) के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (COPA)/DATA प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) प्रमाण-पत्र।

या
भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या
सरकार से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या
राजस्थान नैलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणमधीन कर्मचारी महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT) में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।

(ii) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

3. राजस्थान विशाल व्यक्तियों का (समान विशालजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देव होगी-
 1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
 2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
 3. अजरा/अजराजरा के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष
4. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व सैदी की दशा में जो अपने दोषसिद्धी के पूर्व अधिकतम नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर कालावधि तक विरहित की जावेगी।

पद कोड सं. 01 ग्राम सैवक एवं पंचायत सचिव के लिये आयु में छूट के अतिरिक्त प्रावधान :-

1. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व सैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोषसिद्धी से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) अक्षर पर पचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र था।
2. भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
3. पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपकरण/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. पंचायतों के सचिव के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा 3 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक विधिलनीय होगी।
5. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिये ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक विधिलनीय होगी।
6. हेल्थ-राम निवृत्ती के रूप (नियम-259 के उपनिधम (5-ख) के अधीन नियुक्त) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। वसतः ऐसे व्यक्तियों ने अधिष्ठायी आयु प्राप्त नहीं की हो।

पद कोड सं. 02 छात्रावास कर्मिक ग्रेड-1 के पद के लिये के लिये आयु में छूट के अतिरिक्त प्रावधान :-

1. भूतपूर्व सैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारात कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्राथमिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समस्त आधिकारी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्राथमिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
4. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त विहित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
5. राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम-1963 के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में सेवारात कर्मिकों को उच्चतर पद की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देव होगी। यह छूट केवल 02 अवसरों तक देव होगी।
6. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

नोट-

- (क) भूतपूर्व सैनिक/सस्थाई कर्मचारी को निधमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक/सस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अथवा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकतम आयु सीमा से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम-1966, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त विन्दु 10 के आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त विहित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा।

11. पेशान:-

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंतरराष्ट्रीय पेशान योजना लागू होगी।

12. **विवाह पंजीयन :-** शासन के परिपत्र क्रमांक 48(18) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा समय वांछनीय होगा।

13. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि --

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य को निर्धारित ई-पत्र क्रियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 01.10.2018 को रात्री 12.00 बजे से 31.10.2018 को रात्री 12 बजे (ई-पत्र एवं जन सुविधा केन्द्र पर रात्री 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2018 को रात्री 12.00 बजे से 31.10.2018 को रात्री 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भर जा सकते हैं (इसके उपरान्त लिंक निश्चिद हो जायेगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

14. **परीक्षा का माह एवं दिनांक:-** ग्राम सेवाक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा दिनांक 18.12.2018 को बोर्ड द्वारा अवधि परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञापित के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। ग्राम सेवाक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों की भर्ती के लिये परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

15. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-** सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपकरणों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोजक को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

16. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-8-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्धारित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्ता हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, धा कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या मल्लत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

17. आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जिस श्रेणी के सदस्य आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के विद्युत वर्ग/विशेष विद्युत वर्ग की डीपीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विद्युत वर्ग/विशेष विद्युत वर्ग (डीपीलेयर एवं नॉन डीपीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग को अन्तर्गत आते हैं।

सूचना स्थान है:-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र गस्कर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पत्र के सम्बन्ध में कोई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अर्थात् प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से विभिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विद्युत वर्ग/विशेष विद्युत वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अथवा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक परचासू (संशोधन रूपों की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनको ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगी, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिकार नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियों बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अर्थात् रूप से बयान होने की स्थिति में आवेदक को किस्तुत आवेदन वी प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयंसांगित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विद्युत वर्ग/विशेष विद्युत वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान राजगार संदेश को आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
 - a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छ. माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए।
 - i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 x 320 एवं अधिकतम 480 x 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
 - j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

i. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा सम्बन्धित अवोध उद्घराया जा सकता है।

8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने की बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक कॉप करने के पर्याप्त अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा सम्बन्धित अवोध उद्घराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) फॉर्मट को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष दिशानी-

- परीक्षा के पर्याप्त सम्बन्धित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ जमायित की जायेगी। आवेदक आवेदक के लिये परीक्षाओं को निर्धारित तरीके से शुल्क 400/- का जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रतिलिपि आपत्तियाँ जमायित करने हेतु जारी की जाने वाली स्थिति में भेजा जायेगी।
- परीक्षा देने के लिये जारी समस्त सम्बन्धी पैर/वस्तु की उपाय एवं पर्यवेक्षण पर मान्य नहीं करें। का भी उद्घार करें कि यह स्टैम्प/रेलवे स्टेशन और चपटों में लोकल, सुदृष्ट, दुकान, सभारवाजी, जानकरी एवं स्थितिओं के साथ सम्बन्धी जाति न करें तथा अनुसूचन बगैरे रहें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं जाए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिये नीली रबड़ी का चारवर्ती कलम, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल चरित्र पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कम में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिलिपि वस्तुएं साथ-साथ ले जाते हैं तो उन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनकी सुझा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र/संचालक व राज्यस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा कक्षा बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा सम्पन्नित की जा रही है, वहाँ मोबाइल फोन, पेजर्स, सुदृष्ट या अन्य कोई संकर यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुमति का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राज्यस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा कक्षा बोर्ड की परीक्षार्थी में अनुचित सम्बन्धी की रोकथाम हेतुलेखन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भवित है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का वेबसाइट कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.cbseboard.com पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

18. **श्रुत लेखन की सुविधा-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राज्यस्थान निराक्षर व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (निरक्षर) (Bhand) सुव्युक्ती एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिश्चयता) या त्वरित रूप से निराक्षर (जो बांध कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अमानक सुव्युक्तीवश लेखन कार्य से अर्थात् कम से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध करने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आपत्तित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीनक के सम्बन्धित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीनक को भी दी जायेगी।

19. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:- आवेदक को वर्ग विशेष/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी का नाम तब ही देय होना जबकि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं इमीलेयर/नॉन इमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवरित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के इमीलेयर के अभ्यर्थियों को अक्षय का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सलग्न आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्रपत्र की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विकसित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, पतिव्रता, मूलपुत्र सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्रीय/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कार्यवाही द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा क्षेत्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्रीय/अभिजागर/बोर्ड के अतिरिक्त समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचना निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rmsab.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
नोट-

1. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ(Objective) प्रकार के होंगे व सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
2. मूल्यांकन में आणालिक अंकन किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे।
3. परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

22. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rmsab.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जावेगा।

(प्रदीप कुमार बोस)
सचिव

आपराधिक प्रकरण नहीं होने की घोषणा पत्र

में.....पुत्र/पुत्री/श्री.....

निवासी रोल नम्बर

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं हुआ/हुई हूँ तथा वर्तमान में मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं हैं।

स्थान:-

दिनांक:-

नाम व हस्ताक्षर

शपथ पत्र

में.....पुत्र/पुत्री/श्री.....

निवासीरोल नम्बर

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांकको हुआ
है। तथा वर्तमान में मेरे.....सन्तान हैं।

जीवित सन्तानों की विवरण:-

1.....

2.....

स्थान:-

दिनांक:-

नाम व हस्ताक्षर

चैक लिस्ट

नाम

रील नं.

1. राष्ट्रियता प्रमाण पत्र
2. पहचान पत्र (आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स)
3. आचरण प्रमाण पत्र
4. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र
5. Married/Unmarried का प्रमाण-पत्र
6. जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र
7. मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज अनुसार)
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/टी.ए.डी./सहरिया का सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्र
9. टी.ए.डी. क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया (टी.एस.पी.) निवास प्रमाण पत्र
10. मूल निवास प्रमाण पत्र
11. जीवित संतान/सन्तानों की सूचना
12. निशक्तता का प्रमाण पत्र
13. 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, "सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड" के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो, संलग्न होगा।
14. सेवारत होने संबंधी प्रमाण पत्र
15. अन्य कोई (यथा खेल प्रमाण पत्र)

नोट :-

1. अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज मूल, एवं दो-दो छाया प्रतिया, स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके उपलब्ध करानी होगी।
2. अधिक जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या 0141-2226619 पर किसी भी दि०२१-११-१७से कार्य दिवस में प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।